

भाग-3

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है,)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है, क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है, (हां या नहीं), यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। — नहीं।
15. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग- ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। — हां।
16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। — प्रभागीय निदेशक, सा0 वा0 प्रभाग, रामपुर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित हैं।

तिथि : 12/10/17

स्थान : mbd.

नाम व पदनाम (आर०पी०वर्मा)
सरकारी मोहर वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
पुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।